भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2656
मंगलवार, 16 दिसंबर, 2025/25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

लद्दाख में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स)

†2656. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लद्दाख में देश में सबसे कम संख्या में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) कार्यशील हैं और राष्ट्रीय आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत अब तक केवल दस पैक्स को ही कम्प्यूटरीकरण हेतु अनुमोदित किया गया है;
(ख) यदि हाँ, तो इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और दूरस्थ संघ/राज्य क्षेत्र में पैक्स की इतनी कम पहुँच और उनके कम्प्यूटरीकरण के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का लद्दाख में कार्यशील और कम्प्यूटरीकृत पैक्स की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) लद्दाख में सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने और क्षमता निर्माण एवं आईटी सहायता सहित सहकारी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या पैक्स कम्प्यूटरीकरण और सहकारी विकास में अग्रणी राज्यों के साथ लद्दाख के अंतर को पाटने के लिए कोई विशेष पैकेज या समय-सीमा तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग) 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल आबादी 2,74,289 है, जिसमें 2,12,280 की ग्रामीण आबादी शामिल है, जो 169 पैक्स द्वारा कवर की गई है, जिसमें से 129 वर्तमान में कार्यात्मक हैं और पैक्स से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। लद्दाख ने अपने सहकारी परिदृश्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कम आबादी वाले क्षेत्र के बावजूद, लद्दाख में प्रत्येक पंचायत में एक परिचालन पैक्स है। पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के चरण-1 के तहत, लद्दाख के 10 पैक्स (लेह और कारगिल प्रत्येक से पांच-पांच) को अब तक कम्प्यूटरीकरण के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के चरण-2 में कम्प्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त 23 पैक्स का प्रस्ताव किया है।

सहकारी आंदोलन को गहरा और विस्तारित करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, लद्दाख ने पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों को अपनाया है, जिससे उन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन को

बढ़ाते हुए 25 से अधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाया गया है। संघ राज्य क्षेत्र 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना, और अनाच्छादित क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए CSC, PMKSK और PMBJK के रूप में पैक्स अभिसरण योजनाएं जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में भी भाग ले रहा है। अब तक, नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना के तहत 3 एम- पैक्स, 3 डेयरी और 1 मत्स्य पालन का गठन किया गया है।

(घ) से (ङ) सहकारिता मंत्रालय ने लद्दाख सहित देश भर में सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने और क्षमता निर्माण एवं आईटी सहायता सहित सहकारी कार्यकलापों में विविधता हेतु विभिन्न पहलें लॉन्च की हैं । प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पैक्स की आदर्श उपविधियां, पैक्स को 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने, अपने शासन, प्रचालनों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार लाने में सक्षम बनाती हैं । अब पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSKs), प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJKs), कॉमन सेवा केंद्रों (CSC), आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं । वर्तमान में, लद्दाख में 10 पैक्स ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन दिए हैं और 7 पैक्स पहले से ही CSC सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

ii. एनसीसीटी अपने प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश भर में सहकारी समितियों को सशक्त करने को लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक व्यापक क्रृंखला का संचालन करता है । लद्दाख के प्रतिभागियों को क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, चंडीगढ़ के माध्यम से एनसीसीटी के अधीन सहकारी प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा (HDCM) पाठ्यक्रम में भी प्रशिक्षित किया गया था।

iii. पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना को मानकीकृत सॉफ्टवेयर, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा प्रदाय और बेहतर पारदर्शिता के लिए पेश किया गया था।

iv. सिस्टम इंटिग्रेटर और जिला सहकारिता अधिकारियों द्वारा पैक्स के लिए क्षमता निर्माण और ERP प्रशिक्षण ।

v. कंप्यूटरीकृत पैक्स को ऑनलाइन सेवाओं के लिए आईटी हार्डवेयर का वितरण ।

vi. सहकारी बैंकों की संरचना और कार्यप्रणाली को मजबूत करने और उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाने के लिए वित्तीय सेवांए विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से पहल की गई । (गतिविधियों की सूची संलग्न है)।

vii. पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

*****

संलग्नक

सहकारी बैंकों की संरचना और कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्तीय सेवांए विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से की गई पहल:

1) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अब अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति है।

2) सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने में सक्षम हैं।

3) शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा दी गई है।

4) भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।

5) शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित बातचीत के लिए आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित।

6) आरबीआई ने ग्रामीण सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुना से अधिक कर दिया है।

7) ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति - आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी।

8) सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋण संस्थानों [एमएलआई] के रूप में सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है।

9) सहकारी बैंकों को आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) में ऑनबोर्डिंग करने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है।

10) शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेड्यूलिंग मानकों की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

11) आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है।

12) राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) नामक यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) का गठन किया गया है, जो यूसीबी को आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचा और संचालन सहायता प्रदान करेगा।

13) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के तहत कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़कर ₹10 करोड़ हो गई

14) ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और उन्हें मजबूत करने के लिए, आरबीआई के अनुमोदन से नाबार्ड ने सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई) की स्थापना की है।

15) शहरी सहकारी संस्थानों को 50% ऋण सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर राहत।

16) संविधान के अनुसार सहकारी बैंकों के बीओडी का कार्यकाल तय करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन (अधिकतम 10 वर्ष लगातार) ।

17) ग्रामीण सहकारी बैंक आरबीआई की लोकपाल योजना के तहत शामिल हैं।

18) शहरी सहकारी बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य 75% से घटाकर 60% कर दिया गया।

19) शहरी सहकारी बैंकों के लिए 12% कमजोर वर्ग की उप-सीमा आसान कर दी गई और महिलाओं के लिए ₹2 लाख का लक्ष्य हटा दिया गया है।

20) ग्रामीण सहकारी बैंक को अब स्वचालित मार्ग के माध्यम से शाखाएं खोलने की अनुमति है (अधिकतम 10)।

21) आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को वित्तीय मानदंडों में छूट।

22) एफएसडब्ल्यूएम मानदंडों के तहत दंड खंड से छूट।

*****